न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2019
GCMS Case Reg. 2019 00025

सरकार जरिये तहसीलदार, बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज.)। –प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती विमलादेवी पत्नि श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा।
2. श्रीमती सुनीता देवी पत्नि श्री सुभाषचन्द्र अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा।
3. श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा।
4. श्री मुकेश चन्द्र पुत्र श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी बॉसवाडा तहसील व जिला बॉसवाडा।

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

उपस्थित –
तहसीलदार तहसील बागीदौरा

1. श्री हीरालाल जैन अधिवक्ता
2. श्री यशपाल गुप्ता अधिवक्ता
3. श्री भुषण जैन अधिवक्ता
4. श्री निरज पटेल अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक :– 31.12.2020

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बागीदौरा जिला बॉसवाडा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेटलमेंट खतौनी वाके ग्राम बडौदीया पटवार हल्का बडौदीया तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा सम्वत् 2036 से 2039 के आराजी नंबर 745 रकबा 2.05 बिघा, आराजी नंबर 749 रकबा 1.00 बिघा गैर मुमकीन नाला सिवायचक बिना लगानी अंकित

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त आराजीयात भूमि का क्षेत्रफल तुलनात्मक--पत्र सवत् 2061 के अनुसार निम्नानुसार नये आराजी नबर है।

गत (सेटलमेंट खतौनी 2036-2039 अनुसार)	हाल खसरा नबर	किरम	क्षेत्रफल
खसरा न.745 रकबा 2.05 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला सिवायचक	2631	गै.मु. आबादी	0.19 हैक्ट.
	2639	गै.मु. आबादी	0.02 हैक्ट.
	2640	गै.मु. आबादी	0.02 हैक्ट.
	2629 / 3080	गै.मु. आबादी	0.08 हैक्ट.
	2631 / 3081	गै.मु. आबादी	0.24 हैक्ट.
	2640 / 3083	गै.मु. आबादी	0.05 हैक्ट.
	2641 / 3082	गै.मु. आबादी	0.05 हैक्ट.
खसरा न.749 रकबा 1.00 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला सिवायचक	2633	गै.मु. आबादी	0.12 हैक्ट.
	2634	गै.मु. आबादी	0.01 हैक्ट.
	2635	गै.मु. आबादी	0.03 हैक्ट.
	2633 / 3271	गै.मु. आबादी	0.10 हैक्ट.
	2634 / 3411	गै.मु. आबादी	0.02 हैक्ट.

उक्त सभी आराजीयात नबरान् वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में वाके ग्राम बडोदिया पटवार हल्का बडौदिया तहसील बागीदौरा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त भूमि अप्रार्थीगणो के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा भिन्न भिन्न आबादी नामान्तरकरण से गैर मुमकीन आबादी दर्ज की गई है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेन्ट गैर मुमकीन नाला श्रीसरकार दर्ज है, जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी / नाला / झील / तलाब / नाली / तलाई / जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536 / 2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनाक 02.08.2004 के अनुसरण मे उक्त आराजी नबर के खातेदारी अधिकार व उक्त भूमि से उदभूत समस्त अधिकार कादिल निरस्ती योग्य है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनाक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनाक 15.08.1947 मे दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम बडोदिया पटवार बडोदिया तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2631 रकबा 0.19 हैक्ट., आ.नं. 2639 रकबा 0.02 हैक्ट., आ.नं. 2640, रकबा 0.02 हैक्ट. आ.नं 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्ट., आ.नं 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्ट., आ.नं.2640/3083 रकबा 0.05 हैक्ट., आ.न 2641/3082 रकबा 0.05 हैक्ट., आनं 2633 रकबा 0.12 हैक्ट., 2634 रकबा 0.01 हैक्ट., आनं. 2635 रकबा 0.03 हैक्ट., आनं.2633/3271 रकबा 0.10 हैक्ट., 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्ट. किस्म भूमि गैर मुमकीन आबादी से अप्रार्थीगणो के खातेदारी अधिकार निरस्त करने एवं वापस गैर मुमकीन नाला राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 व 4 की ओर से श्री भूषण जैन अधिवक्ता, अप्रार्थी सं.2 की ओर से श्री यशपाल गुप्ता अधिवक्ता, अप्रार्थी सं. 3 की ओर से श्री हीरालाल जैन अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं जवाब प्रस्तुत किया किया कि प्रार्थी द्वारा दो सर्वे नंबर की भूमि जिसमें खसरा नंबर 745 रकबा 2.00 बिघा व सर्वे नंबर 749 रकबा 1.00 बिघा के तुलनात्मक नये नंबर व उसके आगे अंकित रकबा बताया गया है जिसमें सर्वे नं. 745 के हाल नम्बर कुल 7 जिनका कुल रकबा 0.65 हैक्टर बताया है जबकि सर्वे नं.745 का रकबा 2.05 बिघा यानी 0.36 हैक्टर है। सर्वे नं. 749 का रकबा 1.00 बिघा यानी 0.16 हैक्टेयर बनता है जबकि नये नंबर का रकबा 0.28 हैक्टेयर बताया है जो विरोधाभास है। तहसीलदार बागीदौरा के

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार उक्त भूमि 4.00 बिघा से अधिक होती है तथा सर्वे नंबर 749 के नये हाल नम्बर कुल 5 बनना बताया है जिसका कुल रकबा 0.28 हैक्टर बताया है इस अनुसार उक्त भूमि 1.15 बिघा होती है। इससे भी उक्त भूमि का रकबा मेल नही खा रहा है। अप्रार्थीगणो के नाम उक्त भूमि काबिल काश्त व खातेदारी में दर्ज है एवं आबादी नामान्तरकरण से गैर मुमकीन आबादी दर्ज की गई है ऐसी स्थिति में तहसीलदार बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार समाप्त हो जाता है। भूमि काबिल काश्त व खातेदारी में दर्ज है तथा तहसीलदार बागीदौरा द्वारा रेफरेस मात्र माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार का आधार लेकर पेश किया गया है जबकि सिविल सामान्य नियम में यह उल्लेखित है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टान्त प्रार्थना पत्र व जवाब में उल्लेखित नही किया जा सकता क्योकि प्रत्येक प्रकरण के तथ्य अलग होते है न्यायालय को उसके लिये बाध्य नही किया जा सकता। इसलिए रेफरेस खारिज करने निवेदन किया।

दिनांक 23.12.2020 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई। अप्रार्थी सं. 1,3,4 की ओर से लिखित बहस एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण तहसीलदार बागीदौरा द्वारा अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश हुआ है वह कानून के प्रावधानो के विपरीत है तथा उन्हे गैर मुमकीन आबादी के संबध में उक्त कार्यवाही करने के कोई अधिकार नही है। पुराना सर्वे नं. 745 के समानातर नं. 2631, 2639, 2640, 2629/3080, 2631/3081, 2640/3083, 2641/3082 व पुराना सर्वे नं 749 के समानांतर नंबर 2633,2634,2635,2633/3271 तथा 2634/3411 गैर मुमकीन आबादी दर्ज है एवं उक्त भूमि को आबादी में तहसीलदार द्वारा किया गया है एवं नामान्तरकरण भू संरक्षण विभाग द्वारा खोला गया है। ऐसी स्थिति में श्रीमान् तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार ही समाप्त हो चुका है। तहसीलदार बागीदौरा द्वारा रेफरेस मात्र माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय याचिका सं. 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार का आधार लेकर पेश किया गया है जबकि सिविल सामान्य नियम में यह उल्लेखित है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्याय

Signature Not Verified

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested

दृष्टान्त प्रार्थना पत्र व जवाब मे उल्लेखित नही किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक प्रकरण के तथ्य अलग होते है न्यायालय को उसके लिये बाध्य नही किया जा सकता। उक्त न्याय दृष्टान्त प्रकरण पर लागु नही होते है। प्रश्नगत भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ की भूमि नही है भूमि काबिल काश्त होकर लगभग 35–36 वर्षो से राजस्व रेकार्ड मे गैर मुमकीन आबादी अथवा खातेदारी आबादी भूमि विभिन्न आदेशो से दर्ज रेकार्ड हुई है। उक्त भूमि वर्तमान मे कृषि भूमि नही रही न ही कृषि कार्य हो रहा है वर्षो पूर्व उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ एवं तहसीलदार बागीदौरा द्वारा पृथक पृथक आदेशो से कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ आबादी में रुपांतरित की गई है। उक्त भूमि का उपयोग वर्तमान मे आबादी प्रयोजनार्थ ही हो रहा है। भूमि का नामान्तरण भी भू प्रबन्ध विभाग उदयपुर ने सेटलमेट के दौरान किया है। पूर्व तहसीलदार द्वारा राजस्व कार्मिक गिरधावर, पटवारी, ग्राम पचायत की मौके की रिर्पोट प्राप्त करने के बाद रुपान्तरण की कार्यवाही की गई है। अधिवक्ता द्वारा बहस मे गुजरात राज्य बनाम पटेल राधव नाथ व अन्य मे उदाहरण प्रस्तुत किया कि 1969 एस.सी 1297 अनुसार ऐसी शक्तियों के प्रयोग में एक वर्ष की देरी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बहुत देर से आयोजित होना माना है। इस प्रकरण मे लगभग 35–36 वर्षो के पश्चात् भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण प्रस्तुत किया, तथा रेफरेस प्रकरण बनाने से पूर्व रेकार्ड परिक्षण करने के पश्चात् सन्तुष्ट होने पर यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तब भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रकरण प्रस्तुत होना चाहिये जिसके सन्दर्भ में स्टेट बनाम कल्याण वक्ष,1977 आर.आर.डी 461 तथा स्टेट बनाम मोती 1980 आर.आर.डी 656 व स्टेट बनाम सोमा 1980 आर.आर.डी (एन.यु.सी) 64 व अन्य का समर्थन लेते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी अधिवक्तागणो की ओर से निम्नानुसार न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये –

1. 2005 (2) डी एन.जे (राज.) पेज 786 कालीचरण बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अजमेर
2. 2012 (1) आर.आर.टी पेज 633 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम एल.आरएस ऑफ प्रसनमल

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राज.)

3 2017 (2) आर.आर.टी पेज 844 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम हीरा

4 2016 (1) आर.आर.टी पेज 65 शिवराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य

5 2011 (1) आर.आर.टी पेज 412 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम नारायण सिंह

6 2017 (1) आर.आर.टी पेज 660 स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम सोहनलाल व अन्य

7. 1974 आर.आर.डी पेज 359 स्टेट बनाम चतुरभुज

8 2008 (1) आर.आर.टी 707 क्लासिक मर्चेन्ट प्रा.लि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

9 2016 (1) आर.आर.टी 396 स्टेट बनाम चतुरभुज

अतः तहसीलदार बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम निरस्त करने निवेदन किया।

विभागीय पैरोकार तहसीलदार बागीदौरा ने दौराने बहस कथन किया कि सेटलमेंट खतौनी वाके ग्राम बडौदीया पटवार हल्का बडौदीया तहसील बागीदौरा जिला बॉसवाडा सम्वत् 2036 से 2039 के आराजी नंबर 745 रकबा 2.05 बिघा, आराजी नंबर 749 रकबा 1.00 बिघा गैर मुमकीन नाला सिवायचक बिना लगानी अंकित है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा इस प्रकार की भूमि मे किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.वी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 मे भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 मे दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम बडौदिया पटवार बडौदिया तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 2631 रकबा 0.19 हैक्ट., आ.नं. 2639 रकबा 0.02 हैक्ट., आ.नं. 2640, रकबा 0.02 हैक्ट. आ.नं 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्ट., आ.नं 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्ट., आ.नं.2640/3083 रकबा 0.05 हैक्ट., आ.नं

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested

2641 / 3082 रकबा 0.05 हैक्ट., आन 2633 रकबा 0.12 हैक्ट., 2634 रकबा 0.01 हैक्ट., आन 2635 रकबा 0.03 हैक्ट., आन 2633 / 3271 रकबा 0.10 हैक्ट., 2634 / 3411 रकबा 0.02 हैक्ट. किस्म भूमि गैर मुमकीन आबादी में [illegible] के [illegible] करने एवं वापस गैर मुमकीन नाला राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने [illegible]

आदेश

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एवं [illegible] न्यायिक दृष्टांतो का अध्ययन किया। सेटलमेन्ट खतौनी [illegible] ग्राम बडोदिया पटवार हल्का बडोदीया तहसील बागीदोरा जिला बांसवाडा सम्वत 2036 से 2039 के आराजी नंबर 745 रकबा 2.05 बिघा, आराजी नंबर 749 रकबा 1.00 बिघा गैर मुमकीन नाला सिवायचक बिना लगानी अंकित है।

उक्त आराजीयात भूमि का क्षेत्रफल तुलनात्मक-पत्र संवत 2061 के अनुसार निम्नानुसार नये आराजी नंबर है।

गत (सेटलमेंट खतौनी 2036–2039 अनुसार)	हाल खसरा नंबर	किस्म	क्षेत्रफल
खसरा नं.745 रकबा 2.05 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला सिवायचक	2631	गै.मु. आबादी	0.19 हैक्ट.
	2639	गै.मु. आबादी	0.02 हैक्ट.
	2640	गै.मु. आबादी	0.02 हैक्ट.
	2629 / 3080	गै.मु. आबादी	0.08 हैक्ट.
	2631 / 3081	गै.मु. आबादी	0.24 हैक्ट.
	2640 / 3083	गै.मु. आबादी	0.05 हैक्ट.
	2641 / 3082	गै.मु. आबादी	0.05 हैक्ट.
खसरा नं.749 रकबा 1.00 बिघा किस्म भूमि गैर मुमकीन नाला सिवायचक	2633	गै.मु. आबादी	0.12 हैक्ट.
	2634	गै.मु. आबादी	0.01 हैक्ट.
	2635	गै.मु. आबादी	0.03 हैक्ट.
	2633 / 3271	गै.मु. आबादी	0.10 हैक्ट.
	2634 / 3411	गै.मु. आबादी	0.02 हैक्ट.

उक्त सभी आराजीयात नंबरान वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2077 में ग्राम बडोदिया पटवार हल्का बडोदिया तहसील बागीदोरा [illegible] के नाम दर्ज रकबे

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested

है। उक्त भूमि अप्रार्थीगणो के नाम खातेदारी मे दर्ज है तथा भिन्न भिन्न आबादी नानान्तरकरण से गैर मुमकीन आबादी दर्ज की गई है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नाला श्रीसरकार दर्ज है, जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। भूमि की मूल किस्म आरम्भ से ही किस्म नाला दर्ज है, जो की आवंटन/निधनन से बाधित भूमि है। जिस कारण ग्राम बडौदिया पटवार मण्डल बडौदिया तहसील बानीदौरा जिला बॉसवाडा के आ.नं 2631 रकबा 0.19 हैक्ट., आ.नं. 2639 रकबा 0.02 हेक्ट., आ.न. 2640, रकबा 0.02 हैक्ट. आ.नं 2629/3080 रकबा 0.08 हैक्ट., आ.नं 2631/3081 रकबा 0.24 हैक्ट., आ.नं 2640/3083 रकबा 0.05 हैक्ट., आ.नं 2641/3082 रकबा 0.05 हैक्ट., आनं 2633 रकबा 0.12 हैक्ट., 2634 रकबा 0.01 हैक्ट., आनं. 2635 रकबा 0.03 हैक्ट., आनं.2633/3271 रकबा 0.10 हैक्ट., 2634/3411 रकबा 0.02 हैक्ट. किस्म भूमि गैर मुमकीन आबादी से अप्रार्थीगणो के निजी खातेदारी/अधिकार को वापस गैर मुमकिन नाला सिवायचक श्रीसरकार दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

अतः रेफरेस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। अप्रार्थीगणो को इस आशय के साथ सम्मन जारी किया जावे कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वयं/अधिवक्ता के जरिये दिनांक 24.03.2021 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर मे उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2020.12.31 13:34:05 IST
Reason: SelfAttested